



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 31, 2015/श्रावण 9, 1937

No. 484]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 31, 2015/SRAVANA 9, 1937

पोत परिवहन मंत्रालय

(पत्तन स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

**सा.कानि. 602(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित, धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास के न्यासी बोर्ड द्वारा बनाए गए कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित करती है, ताकि कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) विनियम, 2013 का संशोधन किया जा सके और इसे इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में निर्दिष्ट किया गया है ।

2. उक्त संशोधन विनियम इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

अनुसूची

**कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015**

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोलकाता पत्तन का न्यासी मंडल एतद्वारा कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) विनियम, 2013 में निम्नलिखित संशोधन करता है बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन और राजपत्र में प्रकाशन किया जाता है ।

1. संक्षिप्त शीर्षक व प्रारंभ—

(i) ये विनियम कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 कहलाएंगे ।

(ii) ये केंद्र सरकार के अनुमोदन राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे, जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 व 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षित है ।

कोलकाता पत्तन न्यास कर्मचारी (नियुक्ति, वरीयता व पदोन्नति) विनियम, 2013 में विनियम 12 के उप-विनियम 2 (क) (i) में—‘सेवा चयन समिति’, ‘पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन)—अध्यक्ष’ शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :-

“पीएचआरडी का कार्यभार देखने वाले पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव – अध्यक्ष।”

[फा. सं. पीआर-12016/2/2015-पीई-1]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी**—मुख्य विनियम 15 अक्टूबर, 2013, सा.का.नि. सं. 687(अ), के तहत प्रकाशित किया गया था ।

## MINISTRY OF SHIPPING

(PORTS WING)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2015

**G.S.R. 602(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Kolkata further to amend the Kolkata Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2013 and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

#### **Kolkata Port Trust Employees’ (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015.**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Board of Trustees for the Port of Kolkata hereby makes the following amendment to the Kolkata Port Trust Employees’ (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2013, subject to approval of the Central Govt. under Section 124 of the said Act and publication in the Official Gazette.

#### 1. Short title and commencement

- (i) These Regulations may be called ‘the Kolkata Port Trust Employees’ (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Govt. as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Kolkata Port Trust Employees’ (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulation, 2013, in Sub Regulation 2(a)(i)(i) of Regulation 12 – ‘SERVICES SELECTION COMMITTEE’, the words ‘Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping – Chairman’ shall be substituted by the following:-

“Joint Secretary of the Ministry of Shipping looking after the charge of PHRD – Chairman”.

[F. No. PR-12016/2/2015-PE-1]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note :** Principal Regulations published by G.S.R. No. 687(E), dated 15th October, 2013.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

**सा.का.नि. 603(अ).**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (i) के साथ पठित धारा 124 की उप धारा (i) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा मुंबई पोर्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए तथा इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में यथा प्रस्तुत मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 को अनुमोदित करती है।

2. उक्त संशोधन विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

### अनुसूची

#### मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

#### मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मुंबई पोर्ट का न्यासी मंडल एतद्वारा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में एतद्वारा निम्न संशोधन करता है, अर्थात् :

#### I. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ:

- (i) ये विनियम मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015 कहलाए जाएँ।
- (ii) ये महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 और 132 के प्रावधानों के तहत आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार की मंजूरी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।

II. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 के विनियम 12 (2) (ए) (i) में "मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन) "शब्दों को" पी एच आर डी का कार्य भार संभालने वाले पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाए।

[फा. सं. पीआर-12016/2/2015-पीई-1]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**टिप्पणी :** मूल विनियमों को केंद्र सरकार ने उनके दिनांक 26.3.1977 के सा.का.नि. संख्या 426 के अन्तर्गत मंजूरी प्रदान की तथा निरस्त किया। मुंबई पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 भारत के राजपत्र में दिनांक 7.5.2010 के सा.का.नि. सं. 387(अ), के अन्तर्गत अधिसूचित किए गए।

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2015

**G.S.R. 603(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Mumbai further to amend the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2010 and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

#### Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Mumbai Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Mumbai Port Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2010, subject to approval of the Central Government under Section 124 of the said Act and publication in the Official Gazette.

#### 1. Short Title and commencement :

- (i) These Regulations may be called the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2010, in Sub Regulation (2) (a) (i) of Regulation 12-‘SERVICES SELECTION COMMITTEE’, the words “Joint Secretary (Ports) of the Ministry—Chairman” shall be substituted by the following:—

“Joint Secretary of the Ministry of Shipping looking after the charge of PHRD- Chairman”

[F. No. PR-12016/2/2015-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Note :** The Principal regulations were sanctioned by the Central Government under G.S.R. No. 426 of 26.3.1977 and repealed. The Mumbai Port Trust Employees (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 2010 were notified in the Gazette of India under number G.S.R. 387(E), dated 7.5.2010.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

**सा.का.नि. 604(अ).**—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2010 में पुनः संशोधन के लिए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मण्डल द्वारा बनाए गए कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2015 को मंजूरी देती है एवं इस अधिसूचना के संलग्न अनुसूची में व्यक्त करती है ।

उक्त विनियम सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

### अनुसूची

#### कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति)

#### संशोधन विनियम, 2015

महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए

एवं उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत कोचिन पोर्ट के न्यासी मण्डल एतद्वारा कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) विनियम, 2010 में संशोधन के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :—

#### 1. लघु शीर्षक और प्रारंभ :

(i) इन विनियमों को “कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015” कहा जा सकता है ।

(ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम 1963, की धारा 124 एवं 132 के तहत केन्द्र सरकार के अनुमोदन के साथ सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. कोचिन पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम, 2010 के, विनियम 12 ‘सेवा चयन समिति’ की उप विनियम (2) (क) में ‘पोत मंत्रालय के संयुक्त सचिव-अध्यक्ष’ इन शब्दों को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए ।

**‘पीएचआरडी- अध्यक्ष के प्रभारी पोत मंत्रालय के संयुक्त सचिव’**

[फा. सं. पीआर-12016/2/2015-पीई-1]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** मुख्य विनियम सा.का.नि. संख्या. 862(अ), दिनांक 28-10-2010 में प्रकाशित ।

- (i) सा.का.नि. 849(अ), दिनांक 25.10.2014

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st July, 2015

**G.S.R. 604(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Cochin further to amend the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2010 and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

**SCHEDULE****Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015.**

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Cochin Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Cochin Port Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2010, subject to approval of the Central Government under Section 124 of the said Act and publication in the Official Gazette.

**1. Short Title and commencement :**

(i) These Regulations may be called “the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015”.

(ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the official Gazette.

2. In the Cochin Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2010, in Sub Regulation (2) (a) of Regulation 12-‘SERVICES SELECTION COMMITTEE’, the words “Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping—Chairman” shall be substituted by the following:-

“Joint Secretary of the Ministry of Shipping looking after the charge of PHRD—Chairman”

[F. No. PR-12016/2/2015-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note :** Principal Regulations published vide G.S.R. No. 862(E), dated 28.10.2010.

(i) G.S.R. 849(E), dated 25/10/2014

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2015

**सा.का.नि. 605(अ).**—महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार—विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2009 में आगे का संशोधन करने के लिए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2015 को अनुमोदन देता है और जो, यह अधिसूचना में संलग्न अनुसूची में बयान करता है ।

2 उक्त संशोधन विनियम, सरकारी राजपत्र में प्रकाशित करने की तिथि से लागू होंगे ।

**अनुसूची****विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम, 2015**

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 28 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए विशाखपट्टणम पोर्ट ट्रस्ट—विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) विनियम 2009 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, बशर्ते कि उक्त अधिनियम की धारा 124 के तहत केन्द्र सरकार की अनुमोदन प्राप्त हो और सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हो ।

- (1) लघु शीर्ष और प्रारंभ :—
- (i) इन विनियमों को “विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2015” कहा जाएगा।
- (ii) ये विनियम महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 की धारा 124 एवं 132 के प्रावधानों के तहत अपेक्षानुसार, सरकारी राजपत्र में केन्द्र सरकार का अनुमोदन प्रकाशित होने की तिथि से लागू होंगे।
- (2) विशाखपट्टणम पोर्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता एवं पदोन्नति) संशोधन विनियम 2009 में, विनियम 12 की उप-विनियम (2) (ए) में “सेवा चयन समिति” में, शब्द “पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पत्तन)—अध्यक्ष” को निम्नलिखित के साथ प्रतिस्थापित किया जाए।
- “पी एच आर डी कार्यों के लिए प्रभारी पोत परिवहन मंत्रालय के संयुक्त सचिव—अध्यक्ष”

[फा. सं. पीआर—12016/2/2015—पीई—I]

बरुण मित्रा, संयुक्त सचिव

**पाद टिप्पणी :** प्रधान विनियमों को सा.का.नि. सं. 601(अ), में दि. 27-08-2009 को प्रकाशित किया गया।

- (i) सा.का.नि. 601(अ), दि. 27-08-2009

### NOTIFICATION

New Delhi, the 31st July, 2015

**G.S.R. 605(E).**—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with Sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015 made by the Board of Trustees for the Port of Visakhapatnam further to amend the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2009 and are set out in the Schedule annexed to this Notification.

2. The said Amendment Regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

### SCHEDULE

#### Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015.

In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Visakhapatnam Port Trust hereby makes the following Regulations to amend the Visakhapatnam Port Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2009, subject to approval of the Central Government under Section 124 of the said Act and publication in the Official Gazette.

#### 1. Short Title and commencement :

- (i) These Regulations may be called “the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Amendment Regulations, 2015”.
- (ii) They shall come into force on the date of publication of the approval of the Central Government as required under the provisions of Section 124 and 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 in the Official Gazette.

2. In the Visakhapatnam Port Trust Employees (Recruitment, Seniority & Promotion) Regulations, 2009, in Sub Regulation (2) (a) of Regulation 12-‘SERVICES SELECTION COMMITTEE’, the words “Joint Secretary (Ports) of the Ministry of Shipping – Chairman” shall be substituted by the following:—

“Joint Secretary of the Ministry of Shipping looking after the charge of PHRD—Chairman”

[F. No. PR-12016/2/2015-PE-I]

BARUN MITRA, Jt. Secy.

**Foot Note :** Principal Regulations published vide G.S.R. No. 601(E), dated 27.08.2009.